न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

महेन्द्र सिंह बनाम भूमिधारी जरिये तहसीलदार

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दावा मु.नं. -114/2023	
	मय फर्द दस्तावेज किता-4 पेश किये। जो शामिल पत्रावली किये गये। वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 11.10.2023 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
11/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/10/23 को पेश हो।	
17/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19-10-23 को पेश हो।	
19.10.23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण व वकील तरतीबी प्रतिवादीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस बहुपक्षीय सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् दुरस्ती राजस्व रिकॉर्ड, उद्‌घोषणा,एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) 19/10/23	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
114/2023	2023/212	18.07.2023	19.10.2023

उनवान प्रकरण

1. महेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह उम्र 68 वर्ष
2. प्रताप सिंह पुत्र दशरथ सिंह उम्र 62 वर्ष
3. देवेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह उम्र 34 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

— वादीगण—

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर।
2. पटवारी पटवार हल्का दिवाराला।
3. उपतहसीलदार अजीतगढ़।

—प्रतिवादीगण—

4. महिपाल सिंह पुत्र भवानी सिंह पौत्र अभय सिह उम्र 32 वर्ष
5. राजवीर सिंह पुत्र भवानी सिंह पौत्र अभय सिंह उम्र 29 वर्ष
6. पुष्पा कंवर पत्नि भवानी सिंह पुत्रवधु अभय सिंह उम्र 55 वर्ष
7. धीरेन्द्र सिंह पुत्र अभय सिंह उम्र 58 वर्ष
8. दिलीप सिंह पुत्र अभय सिंह उम्र 56 वर्ष
9. बुगलेश कंवर पुत्री अभय सिंह उम्र 52 वर्ष
10. उच्छब कंवर पत्नि अभय सिंह उम्र 80 वर्ष
11. दिपेन्द्र सिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह उम्र 36 वर्ष
12. उषा कंवर पुत्री गजेन्द्र सिंह उम्र 38 वर्ष
13. विजयालक्ष्मी कंवर पुत्री गजेन्द्र सिह उम्र 34 वर्ष
14. भंवर कंवर पत्नि गजेन्द्र सिंह उम्र 63 वर्ष
15. मनजीत सिंह पुत्र राजेन्द्र [illegible] वर्ष
16. सरोज कंवर पत्नि राजेन्द्र सिंह उम्र 65 [illegible]
17. विरेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण [illegible] तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर समस्त जाति राजपूत निवासी [illegible] राजस्थान।

— तरतीबी प्रतिवादीगण —

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:01 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपस्थित : –

श्री विक्रम सिंह बांकावत एड0, वादीगण अभिभाषक।
श्री भारत भूषण सामोता एड0, तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7, 9 व 11 ता 17 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

वादपत्र बाबत् उद्घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

––:: निर्णय ::––

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2158 रकबा 0.81 हैक्टर तन ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान है। जिस पर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण वक्त बुजुर्गान से काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2158 के हिस्सा 1/9 भाग पर वादी संख्या 1, हिस्सा 1/6 भाग पर वादी संख्या 2, हिस्सा 1/27–1/27 पर वादी संख्या 3 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 ता 16, हिस्सा 1/15 पर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 6, हिस्सा 1/15–1/15 पर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 10, हिस्सा 1/6 पर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2158 पुराने भूमि खसरा नम्बर 2976 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा से बना है। उक्त पुराने खसरा नम्बर 2976 की खातेदारी जमाबंदी संवत् 2058 से 2031 के अनुसार वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण अभय सिंह पुत्र मेघ सिंह हिस्सा 1/2 व गजेन्द्र सिंह, लक्ष्मणसिंह पिता दशरथ सिंह हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पुराने भूमि खसरा नम्बर 2976 की खातेदारी वादीगण के बुजुर्गान के नाम उक्तानुसार थी। जो कि उक्त पुराना खसरा नम्बर 2976 नक्शा ट्रेस में लगभग आयताकार होकर उसकी पूर्व दिशा में भूमि खसरा नम्बर 2977, पश्चिम दिशा में 1312, उत्तर दिशा में 12[illegible] दिशा में भूमि खसरा नम्बर 2972 व 2975 था अर्थात् उक्त पु[illegible] के मध्य की भूमि खसरा नम्बर 2976 वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि थी। जो कि पुराने राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में यथास्थान सही दर्शित की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:01 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
19/10/23

वादीगण के पुराने खसरा नम्बर 2976 की दक्षिण दिशा में गैर मुमकीन श्मशान की भूमि खसरा नम्बर 2976 थी। जिसकी सीमा उक्त पुराने खसरा नम्बरान 2976, 2977, 2978 की उत्तरी सीमा की तरफ पूर्व पश्चिम लम्बाई में एकदम सीधा थी। उक्त गैर मुमकीन श्मशान की भूमि खसरा नम्बर 2975 को पुराने नक्शा ट्रेस में यथास्थान सही रूप से इन्द्राज किया गया है। अभिनव पैमाईश कार्य सन् 1980–1982 के दौरान सैटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों व भूमापक व इन्सपेक्टर व अधिकारियों ने गंभीर लापरवाही करते हुए पुराने खसरा नम्बर 2976 के पश्चिमी दिशा की तरफ की भूमि के नवीन खसरा नम्बर 2158 कायम करते हुये उसको मिलान क्षेत्रफल में गैर मुमकीन श्मशान की भूमि खसरा नम्बर 1295 से बनना दर्शित करते हुये उक्त भूमि की किश्म गैर मुमकीन श्मशान अंकित करते हुये वादीगण के बुजुर्गान का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटा दिया। अभिनव पैमाईश कार्य के दौरान उक्त पुराने खसरा नम्बर 2976 के दो टुकड़े करते हुए इसके दो नये नम्बर 2157 व 2158 बना दिये। जो कि खसरा नम्बर 2157 को तो राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल में पुराने खसरा नम्बर 2976 का भाग बनाते हुये सही रूप से राजस्व रिकॉर्ड का अंकन कर दिया। जबकि उक्त पुराने खसरा नम्बर 2976 के पश्चिमी भाग से बने नवीन खसरा नम्बर 2158 को मिलाने क्षेत्रफल व राजस्व रिकॉर्ड में 2976 से बना हुआ दर्शित करते हुये राजस्व अभिलेखों में अंकन करते हुये वादीगण के बुजुर्गान के नाम खातेदारी दर्ज करनी चाहिए थी, परन्तु सैटलमेन्ट विभाग के द्वारा गंभीर लापरवाही करते हुये उक्त नवीन खसरा नम्बर 2158 को पुराने खसरा नम्बर 2976 से नही बनना बताकर पुराने खसरा नम्बर 1295 से बनना बताकर उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकीन श्मशान अंकित कर दी। जो कि सैटलमेन्ट विभाग की गंभीर लापरवाही व भूल हैं। जबकि सैटलमेन्ट विभाग को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के खातेदारी व काश्तकारी अधिकार समाप्त करने या दूसरे के नाम खातेदारी दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं हैं। जो कि उक्त गलत इन्द्राजात बमुकाबले वादीगण दुरूस्तनीय है। सैटलमेन्ट विभाग को कानूनी रूप से पूर्वकाल मे मौजूद जमाबंदी, नक्शा ट्रेस को परिवर्तित कर पुराने काश्तकारों के खातेदारी अधिकार गैर कानूनी तरीके से समाप्त करके उनकी जगह गैर मुमकीन श्मशान दर्ज करने व अवैधानिक रिकॉर्ड जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल बनाने का कोई अधिकार नहीं था। सैट[illegible]भाग ने दौराने पैमाईश उक्त पुराने खसरा नम्बर 2976 से बने नवीन [illegible] पुराने खसरा नम्बर 1295 को भाग बनाते हुये नितांत गलत एवं अवैधानिक तरीके से [illegible]की किश्म गैर मुमकीन श्मशान अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:01 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक [illegible] (फास्ट ट्रेक)
[illegible]
19/10/2[illegible]

करते हुये खातेदारी बदल दी। जबकि सैटलमेन्ट विभाग को दौराने पैमाईश उक्त पुराने खसरा नम्बर 2976 से बने नवीन खसरा नम्बर 2158 को राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल आदि में भूमि खसरा नम्बर 2976 का भाग ही अंकित करते हुये इसका राजस्व रिकॉर्ड वादीगण के बुजुर्गान के नाम अंकित करना चाहिये था। इस प्रकार उक्त विरासत इन्द्राज बमुकाबले वादीगण दुरूस्तनीय होकर उक्त भूमि खसरा नम्बर 2158 के वादीगण को विरासत अनुक्रम में हिस्सा हिस्सा 1/9 भाग पर वादी संख्या 1, हिस्सा 1/6 भाग पर वादी संख्या 2, हिस्सा 1/27–1/27 पर वादी संख्या 3 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 ता 16, हिस्सा 1/15 पर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 6, हिस्सा 1/15–1/15 पर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 10, हिस्सा 1/6 पर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अर्सा करीब एक माह पूर्व वादीगण ने उक्त वादग्रस्त भूमि पर फार्म पौण्ड बनाने के लिए सरकारी अनुदान सहायता आदि प्राप्त करने के लिये जमाबंदी निकलवाई तो वादीगण को पता चला कि उक्त भूमि की खातेदारी सर्वथा गलत रूप से गैर मुमकीन श्मशान अंकित हो गई। जिसके बाद प्रशासन आपके द्वारा अभियान के दौरान कैम्प में उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड देखा तो वादीगण को उक्त गफलत व लापरवाही के बाने मे पता चला। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने से मना करने पर वादकारण उत्पन्न हुआ। अतः वादीगण ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 2158 रकबा 0.81 हैक्टर तन ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान पुराने भूमि खसरा नम्बर 2976 से बना है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किस्म गैर मुमकीन श्मशान हजफ फरमाया जावे तथा तदप्रमाणिक असर स्वरूप उक्त भूमि खसरा नम्बर 2158 के हिस्सा हिस्सा हिस्सा 1/9 भाग पर वादी संख्या 1, हिस्सा 1/6 भाग पर वादी संख्या 2, हिस्सा 1/27–1/27 पर वादी संख्या 3 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या [illegible] 16, हिस्सा 1/15 पर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 6, हिस्सा 1/15–1/15 पर [illegible] प्रतिवादी संख्या 7 ता 10, हिस्सा 1/6 पर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 को, हिस्सा 1/9 का तरतीबी प्रतिवादी संख्या 17 को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाया जावें एवं उक्त भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त कार्य, उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार न तो स्वयं मजाहमत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:01 IST
Reason: SelfAttested

पैदा ने स्वयं करे ना दीगर से करावें, ना ही बेदखल करे, ना ही मौका बदले व ना ही ऐसा को कोई कृत्य करे या करावे जिससे वादी के विधिक हक हकूको पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 4 ता 7, 9, 11 ता 17 की ओर से अधिवक्ता श्री भारत भूषण समोता ने उपस्थित होकर वकालतनामा एवं ईकबालिया जबाब दावा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 8, 10 की तामील सम्यक रूप से होने के बावजुद हाजिर अदालत नही आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए तहरीर आदेश जारी किये गये। जिसके संबंध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक /भू0अ0/23/1718 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा न्यायालय में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पेश की। जो शामिल पत्रावली की गई। वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पी.डब्लू 1 महेन्द्र सिंह, पी.डब्लू 2 प्रताप सिंह, पी.डब्लू 3 प्रताप सिंह शेखावत, पी.डब्लू 4 गोपाल सिंह शेखावत को परीक्षित करवाया। अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 भूमि खाता संख्या 1 ग्राम दिवराला कि जमाबंदी संवत 2074–2077, प्रदर्श–2 भूमि खाता संख्या 4, खसरा नम्बर 2156, 2157 ग्राम दिवराला की जमाबंदी संवत 2074–2077, प्रदर्श–3 पुराना नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–4 नया नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–5 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–6 नक्शा लठ्ठा की प्रमाणित फोटो प्रति, प्रदर्श–7 जमाबंदी संवत् 2042, प्रदर्श–8 जमाबंदी संवत् 2028 से 2031, प्रदर्श–9 भूमि खसरा नम्बर 1150, 2973, 2977, 3024 की जमाबंदी संवत् 2028 से 2031, प्रदर्श–10 जमाबंदी सिवाय चक बिना लगानी मजकूर, प्रदर्श–11 तहसीलदार की जाँच रिपोर्ट, प्रदर्श–12 तहसीलदार की जाँच रिपोर्ट के साथ पेश मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–13 तहसीलदार की जाँच रिपोर्ट के साथ पेश मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–14 तहसीलदार की जाँच रिपोर्ट के साथ पेश नया नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–15 तहसीलदार की जाँच रिपोर्ट के साथ पेश पुराना नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–16 तहसीलदार की जाँच रिपोर्ट के साथ पेश जमाबंदी संवत् 2042–2045, प्रदर्श–17 तहसीलदार की जाँच रिपोर्ट के साथ पेश जमाबंदी संवत् 2028–2031, प्रदर्श–18 तहसीलदार की जाँच रिपोर्ट के साथ पेश जमाबंदी संवत् 2028–2031, प्रदर्श–19 तहसीलदार की जाँच रिपोर्ट के साथ पेश जमाबंदी संवत् 2042–2045 पेश किये। बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:01 IST
Reason: SelfAttested

19/10/23

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकलाय उभय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्रदर्श ... निम्न प्रकार है :—

1. मुताबिक जमाबंदी रिकॉर्ड खसरा संख्या 2158 रकबा 0.81 है। किस्म गै.मु. श्मशान सिवाय चक रिकॉर्ड दर्ज है। जिसका गत भू.प्रबन्ध की जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल के अनुसार ख.न. 1295 मी. रकबा 47 बीघा 13 बीस्वा था।
2. वादीगण के स्वयं की खातेदारी में दर्ज ख.स. 2156 रकबा 1.05 है0 एवं ख.स. 2157 रकबा 0.73 है0 कुल किता 2 रकबा 1.78 है0 दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी संलग्न है। जिसका गत भू.प्रबन्ध में साबिक ख.न.2977 रकबा 4 बीघा 6 बीस्वा तथा ख.न. 2976 रकबा 4 बीघा 10 बीस्वा था। जो कि अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त नवीन ख.स. 2157 रकबा 0.73 है0 दर्ज रिकॉर्ड है। जो कि गत सेटलमेन्ट में साबिक ख.न. 2976 रकबा 4 बीघा 10 बीस्वा है। वह वर्तमान में रकबा 1.13 है0 होना चाहिए एवं इसी प्रकार ख.न. 2156 रकबा 1.05 है0 का गत साबिक ख.न. 2977 रकबा 4 बीघा 6बीस्वा है। वह रकबा 1.08 होना चाहिए था। अतः प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी भूमि के कुल दोनो खसरा नम्बरान का कुल रकबा 2.22 है0 होना चाहिए जो कि वर्तमान रिकॉर्ड में 1.78 है0 ही दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार कुल 0.44 है0 रकबा कम बनता है। रिकॉर्ड संलग्न है।
3. वादीगण की खातेदारी भूमि से ख.स. 2157 से लगता हुआ पश्चिम दिशा की ओर ख.स. 2158 है। जिसका रकबा 0.81 है0 है। जो कि गत भु.प्रबन्ध के साबिक ख.स. 1295 रकबा 47 बीघा 13 बीस्वा से बना हुआ है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत भू प्रबन्ध के साबिक ख.स. 1295 रकबा 47 बीघा 3 बीस्वा से नवीन ख.स. 2187 रकबा 10.40 है0, ख.स. 2247 रकबा 0.08 है0,,ख.स. 2248 रकबा 0.01 है0, ख.स. 2249 रकबा 2.27 है0, ख.स.2250 रकबा 0.03 है0, ख.स.2261 रकबा 0.03 है0, ख.स.2267 रकबा 0.19 है0, ख.स.2246 रकबा 0.31 है0, ख.स.2158 रकबा 0.81 है0, कुल किता 9 हाल नम्बर बने है। जिनका कुल रकबा 14.13 है0 यानि 55 बीघा 17 बीस्वा बनता है। जो पूर्व में सेटलमेंट के गत रकबा 47 बीघा 13 बीस्वा से 8 बीघा 4 बिस्वा अधिक वर्तमान रिकोर्ड में दर्ज हुआ है।
4. गत प्रबन्ध एव नवीन प्रबंध के नक्शो के एक दुसरे पर प्रतिस्थापित करने तथा अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि वर्तमान खसरा नम्बर 2158 गत भू प्रबंध के साबिक खसरा नम्बर 2976 से ही अलग ... है, जबकि मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वर्तमान खसरा सख्या 2158 का साबिक खसरा नम्बर 1295 मी0 रकबा 47 बीघा 13 बीस्वा किस्म गै.मु श्मशान बताया गया है।
5. मौके पर उपस्थित मौत बिरानो द्वारा जानकारी में बताया गया कि खसरा नम्बर 2158 रकबा 0.81 है0 किस्म गै0मु श्मशान की भूमि पर वादीगणो एव तरतीबी प्रतिवादिगणो

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:01 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
10/10/23

द्वारा ही कई वर्षो पूर्व से ही काश्त करते आ रहे है। एव उक्त भूमि कभी भी श्मशान के प्रयोजनार्थ काम में नही ली गई है।

6 इस प्रकार संलग्न मिलान क्षेत्रफल एवं जमाबन्दी रिकोर्ड एंव नक्शा ट्रेस तथा मौका स्थिति के अनुसार प्रतीत होता है कि वर्तमान खसरा नम्बर 2158 रकबा 0.81 है0 पूर्व के साबिक खसरा संख्या 2976 से ही अलग होकर बना हुआ है। जो कि वादीगण तथा तरतीबी प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड गत भू.प्रबंध में था। जिसे दुरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि पुराने भूमि खसरा नम्बर 2976 में खातेदारी जमाबंदी संवत 2028 से 2031 के अनुसार अभय सिंह पुत्र मेघ सिह हिस्सा 1/2 व गजेन्द्र सिंह, लक्ष्मण सिंह पिता दशरथ सिंह हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। उक्त पुराना खसरा नम्बर 2976 नक्शा ट्रेस में आयताकार है। जिसके पूर्व दिशा में भूमि खसरा नम्बर 2977, पश्चिम दिशा में 1312, उत्तर दिशा में 1295 व दक्षिण दिशा में भूमि खसरा नम्बर 2972 व 2975 था। इस पुराने खसरा नम्बर 2976 की दक्षिण दिशा में गैर मुमकीन श्मसान की भूमि खसरा नम्बर 1295 थी। जिसकी सीमा उक्त पुराने खसरा नम्बरान 2976, 2977, 2978 की उत्तरी सीमा की तरफ पूर्व पश्चिम लम्बाई में एकदम सीधा है। सैटलमेन्ट के बाद बने नवीन खसरा नम्बर व नक्शा ट्रेस में पुराने खसरा नम्बर 2976 के पश्चिमी भाग के नवीन खसरा नम्बर 2158 कायम किये गये है। परन्तु मिलान क्षेत्रफल में उक्त खसरा नम्बर 2158 को पुराने भूमि खसरा नम्बर 1295 से बनना अंकित किया है। पुराने व नये नक्शा ट्रेस के अवलोकन से दर्शित होता है कि सैटलमेन्ट के बाद पुराने खसरा नम्बर 2976 के दो खसरा नम्बर 2157 व 2158 बनाये गये है। जिसमें खसरा नम्बर 2157 को पुराने खसरा नम्बर 2976 का भाग दर्शित किया गया है। परन्तु पुराने खसरा नम्बर 2976 के पश्चिमी भाग से बने नवीन खसरा नम्बर 2158 को मिलान क्षेत्रफल व राजस्व रिकोर्ड में पुराने खसरा नम्बर 1295 से बनना राजस्व अभिलेखों में अंकित किया गया है। जबकि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पुराने खसरा नम्बर 2976 के पश्चिमी भाग से बने नवीन खसरा नम्बर 2158 को भी मिलान क्षेत्रफल व राजस्व रिकोर्ड में पुराने खसरा नम्बर 2976 से बनना राजस्व अभिलेखों में अंकित करते हुये वादीगण के बुजुर्गान के नाम खातेदारी दर्ज करनी थी। पत्रावली में प्रदर्शित [illegible] प्रदर्श–1 भूमि खाता संख्या 1 ग्राम दिवराला कि जमाबंदी संवत 2074–2077, [illegible] भूमि खाता संख्या 4, खसरा नम्बर 2156, 2157 ग्राम दिवराला की जमाबंदी संवत 2074–2077, प्रदर्श–3 पुराना नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–4 नया नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–5 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–6 नक्शा लठ्ठा की प्रमाणित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:01 IST
Reason: SelfAttested

16/10/23

फोटो प्रति, प्रदर्श–7 जमाबंदी संवत् 2042, प्रदर्श–8 जमाबंदी संवत् 2028 से 2031, प्रदर्श–9 भूमि खसरा नम्बर 1150, 2973, 2977, 3024 की जमाबंदी संवत् 2028 से 2031, प्रदर्श–10 जमाबंदी सिवाय चक बिना लगानी मजकूर के अवलोकन से भी उक्त पुराना भूमि खसरा नम्बर 2976 जो कि वादीगण के बुजुर्गान की खातेदारी में दर्ज राजस्व अभिलेख था, से ही नवीन खसरा नम्बर 2158 बनना दर्शित होता है। जिसके संबंध में प्रदर्श–11 तहसीलदार की जाँच रिपोर्ट से वादीगण का वादपत्र साबित होता है।

इसी अनुक्रम में वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत गवाहान पी.डब्लू 1 महेन्द्र सिंह, पी.डब्लू 2 प्रताप सिंह, पी.डब्लू 3 प्रताप सिंह शेखावत, पी.डब्लू 4 गोपाल सिंह शेखावत के सशपथ बयानों में भूमि खसरा नम्बर 2158 रकबा 0.81 है0 पर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण का वक्त बुजुर्गान से काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही काबिज काश्त होने बाबत कथन किये है। जिससे भी उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त होना स्पष्ट होता है।

उक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों व अनुतोष के आधार पर राजस्व रिकोर्ड दुरस्त करवाते हुये खातेदारी अधिकारों की उदघोषणा करवाने के हकदार है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के आधार पर अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 के प्रावधानों के अध्यधीन वादीगण गलत इन्द्राज दुरस्त करवाकर खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 के प्रावधानों के अध्यधीन प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में कृषि भूमि खसरा नम्बर 2158 रकबा 0.81 है0 अवस्थित तन ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान को पुराने भूमि खसरा नम्बर 2976 से बना हुये की घोषणा की जाती है तथा तदनुसार राजस्व रिकोर्ड दुरस्त किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अंकित किस्म गैर मुमकीन श्मसान हजफ फरमाया [illegible] /9 भाग का वादी संख्या 1 को, जाता है तथा उक्त भूमि खसरा नम्बर 2158 [illegible] /27 का वादी संख्या 3 व हिस्सा 1/6 भाग का वादी [illegible] /15 का तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 ता 16 को, हिस्सा [illegible] का तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 का, हिस्सा 1/6 का को, हिस्सा 1/15–1/15 का तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 का, हिस्सा 1/6 का को, हिस्सा 1/9 का तरतीबी प्रतिवादी संख्या 17 को तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 को, हिस्सा 1/9 का तरतीबी प्रतिवादी संख्या 17 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:01 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई ... पाबंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत ... करे। इस अनुसार वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वादपत्र ... किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

——:: क्रियात्मक आदेश ::——

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड, उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2158 रकबा 0.81 हैक्टर तन ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान पुराने भूमि खसरा नम्बर 2976 से बना है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किस्म गैर मुमकीन श्मशान हजफ फरमाया जाना तथा तद्प्रमाणिक असर स्वरूप उक्त भूमि खसरा नम्बर 2158 के हिस्सा 1/9 भाग पर वादी संख्या 1 को, हिस्सा 1/6 भाग पर वादी संख्या 2 को, हिस्सा 1/27–1/27 पर वादी संख्या 3 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 ता 16 को, हिस्सा 1/15 पर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को, हिस्सा 1/15–1/15 पर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 को, हिस्सा 1/6 पर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 को, हिस्सा 1/9 का तरतीबी प्रतिवादी संख्या 17 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एवं राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:01 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक ... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर